प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –484 / 2023

अनवान : –

1. हरभगवान पुत्र हरदयाल जाति सुथार निवासी मलवानी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. हरदयाल पुत्र श्रीराम जाति सुथार निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. रोशनी पुत्री हरदयाल जाति सुथार निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पुत्री हरदयाल जाति सुथार निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. राजबाला पुत्री हरदयाल जाति सुथार निवासी मलवानी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री माडुराम अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 21.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 655 / 556 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 150 / 149 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा व प्रतिवादी स0 1 के पिता श्रीराम पुत्र कानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी, उनकी फौतदगी के बाद उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात बहिब हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादीगण के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें। वादी एवं प्रतिवादी स0 1 द्वारा राजीनामा पेश किया गया की मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 655 / 556 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 150 / 149 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज [illegible] रिकार्ड है में प्रतिवादी स0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर [illegible] उक्त वाद भूमि का खातेदार कातकार है। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी [illegible] समजन किया जाकर [illegible] को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:34 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में पुरानी व नयी जमाबंदी तथा सदस्य प्रमाण पत्र आदि पेश किये।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी अकेला वाद भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 4 द्वारा इकबाल/आपसी सहमति हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 655/556 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 150/149 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत मलवानी द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्रएवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 ता 4 द्वारा जवाब इकबाल पेश किया गया है की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादीया स0 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 655/556 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 150/149 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:34 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मलवानी

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –484 / 2023
अनवान : –

1. हरभगवान पुत्र हरदयाल जाति सुथार निवासी मलवानी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. हरदयाल पुत्र श्रीराम जाति सुथार निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. रोशनी पुत्री हरदयाल जाति सुथार निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पुत्री हरदयाल जाति सुथार निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. राजबाला पुत्री हरदयाल जाति सुथार निवासी मलवानी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 483 सन 2023 दिनांक 21.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 655 / 556 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 150 / 149 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मलवानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:34 IST
Reason: SelfAttested